न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 127 / 2024
राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

अनवान

प्रार्थीगण – 1. मिसरी खान पुत्र गफूर जाति सिंधी मुसलमान निवासी रमजान की गफन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. खानू 2. पनू 3. नजीर 4. रजाक 5. ईदा पि. सिकू 6. जिमाली पत्नी सिकू 7. अमर 8. अरबाब 9. सीला पि. नूरा 10. सुमार 11. मीरा पि. साहबना 12. साहदाद पुत्र साहबना फौत के कायम मुकाम (1) मौहमद पुत्र साहदाद 13. जानू पुत्र ताजू 14. रमदान 15. रहमान 16. चिनू 17. जबरूदीन पि. सखी जाति सिंधी मुसलमान निवासी रमजान की गफन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री शाकर खान एच
विप्रार्थी – एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 14.11.2025

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा रमजान की गफन में खसरा सं. 360, 251 रकबा क्रमशः 23.2208, 34.7301 हैक्टेयर, मौजा भभूते की ढाणी में खसरा सं. 223 रकबा 9.3078 हैक्टेयर, मौजा भीमवास में खसरा सं. 362 रकबा 11.3797 हैक्टेयर व मौजा जामगढ़ में खसरा सं. 122, 330 / 62, 332 / 62 रकबा क्रमशः 7.4300, 3.6584, 3.4641 हैक्टेयर पटवार हल्का रमजान की गफन तहसील चौहटन में आया हुआ है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त व रहवासी ढाणियां, पशुबाड़े आदि बने हुए है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सही नहीं है प्रार्थी का सही नाम मिसरी खान है जबकि स्थानीय बोली में अधिकांश लोगों के दोहरे नाम होते है इसलिए प्रार्थी को स्थानीय लोग 'कचरा' कहकर भी पुकारते थे इसलिए प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम कचरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

किया गया। प्रार्थी का पहचान दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मिसरी खान उर्फ कचरा दर्ज है। तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम मिसरी खान दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम मिसरी खान ही है।

प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से राजस्व सम्बंधी समस्त कार्य करने में काफी परेशानियां आ रही है। प्रार्थी अपना राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध करवाना चाहता है जिस हेतु प्रार्थी वादग्रस्त भूमि मौजा रमजान की गफन में खसरा सं. 360, 251 रकबा क्रमशः 23.2208, 34.7301 हैक्टेयर, मौजा भभूते की ढाणी में खसरा सं. 223 रकबा 9.3078 हैक्टेयर, मौजा भीमवास में खसरा सं. 362 रकबा 11.3797 हैक्टेयर व मौजा जामगढ़ में खसरा सं. 122, 330／62, 332／62 रकबा क्रमशः 7.4300, 3.6584, 3.4641 हैक्टेयर पटवार हल्का रमजान की गफन तहसील चौहटन भूमि में प्रार्थी अशुद्ध नाम ''कचरा'' की जगह सही नाम ''मिसरी खान'' दुरूस्त करवाने हेतु यह राजस्व आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। विप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया बावजूद तामिल विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से नाम दुरूस्ती संबंधी मौका फर्द／रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते मौजा जामगढ़ में आवंटित खसरा सं. 330／62, 332／62 आवेदन में विड्रो करने का पेश किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र न्यायहीत में स्वीकार किया जाकर मौजा जामगढ़ में खसरा सं. 330／62, 332／62 को आवेदन में जरिये विड्रो हटाये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस सुनी गई। मौका फर्द／रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो मौका फर्द／रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, उसमें से मौजा जामगढ़ में खसरा सं. 330／62, 332／62 को हटाते हुए शेष रिपोर्ट मुझे स्वीकार है। उसी अनुसार प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जावें तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि मौजा रमजान की गफन में खसरा सं. 360, 251 रकबा क्रमशः 23.2208, 34.7301 हैक्टेयर, मौजा भभूते की ढाणी में खसरा सं. 223 रकबा 9.3078 हैक्टेयर, मौजा भीमवास में खसरा सं. 362 रकबा 11.3797 हैक्टेयर व मौजा जामगढ़ में खसरा सं. 122 रकबा 7.4300 हैक्टेयर पटवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

रमजान की गफन तहसील चौहटन में प्रार्थी का नाम कचरा दर्ज किया गया जबकि प्रार्थी अन्य दस्तावेजों एवं तहसीलदार चौहटन की जांच रिपोर्ट/मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है कि प्रार्थी का नाम कचरा दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम मिसरी खान है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का राजस्व आवेदन स्वीकार करने मे कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौहटन की मौका फर्द/रिपोर्ट के आधार पर मौजा जामगढ़ में खसरा सं. 330/62, 332/62 को छोड़ते हुए शेष विवादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी का गलत नाम कचरा के स्थान पर मिसरी खान दर्ज किया जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेशित किया जाता है, कि वे तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद करना सुनिश्चित करे ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:11:33 IST
Reason: SelfAttested